

EXTRACT

FROM THE GAZETTE OF INDIA :

PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 409—430

Dated 9-4-2011

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2011

सा.का.नि. 115.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, अन्वेषक (साम्प्रदायिक सद्भाव सेल) भर्ती नियम, 1993 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

(1) इन नियमों का नाम गृह मंत्रालय, अन्वेषक (साम्प्रदायिक सद्भाव सेल) भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गृह मंत्रालय, अन्वेषक (साम्प्रदायिक सद्भाव सेल) भर्ती नियम, 1993 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे/वेतनमान	चयन-सहज्योष्ठता अथवा योग्यता के आधार पर चयन	सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अन्वेषक (साम्प्रदायिक सद्भाव सेल)	02* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	पी बी-2, 9300— 34800 रु. तथा ग्रेड पे 4200 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों को छोड़कर)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं				सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
	(8)			(9)		(10)
आवश्यक : समाज विज्ञान विषयों में से एक विषय के रूप में अर्थात् समाज शास्त्र/समाज कार्य/मानव विज्ञान/अर्थशास्त्र/भूगोल/सांख्यिकी सहित गणित विषय के साथ डिग्री। वांछनीय : 1. (क) "आवश्यक" अर्हताओं में उल्लिखित किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, या (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या टाटा समाज विज्ञान संस्थान जैसे किसी अन्य संस्थान से समाज सेवा या विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।				लागू नहीं होता		केवल सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष।

(8)

2. सरकारी विभागों में सांख्यिकी आंकड़ों का प्रसंस्करण और विश्लेषण करने में दो वर्ष का अनुभव या सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने/अध्ययन में दो वर्ष का अनुभव ।
3. देश में साम्प्रदायिक सद्भावता से संबंधित समस्याओं की सामान्य जानकारी ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न आमेलन किया जाएगा पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

(11)

(12)

प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर :

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :—

(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने पे बैंड 1,5200-20200 रु. तथा 2800 रु. के ग्रेड पे वाले अथवा समतुल्य पे बैंड और ग्रेड पे वाले पदों पर छः वर्ष की नियमित सेवा की हो; या

(iii) जिन्होंने पे बैंड 1, 5200-20200 रु. तथा 2400 रु. के ग्रेड पे वाले अथवा समतुल्य पे बैंड और ग्रेड पे वाले पदों पर दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ 8 में यथा विहित अर्हताएं हैं ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायी करने के लिए) :

लामू नहीं होता ।

1. उप सचिव/निदेशक, गृह मंत्रालय (प्रशासन प्रभारी) —अध्यक्ष
2. उप सचिव/निदेशक, (प्रभारी, साम्प्रदायिक सद्भाव सेल), गृह मंत्रालय —सदस्य
3. अवर सचिव (प्रशा. I), गृह मंत्रालय —सदस्य
4. अवर सचिव (अधिमानत: अन्य मंत्रालय/विभाग से) —सदस्य

[फा. सं. ए-12018/01/2010-प्रशा. V]

अरविन्द मुखर्जी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2011

G.S.R. 115.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Home Affairs, Investigator (Communal Harmony Cell) Recruitment Rules, 1993, namely :—

(1) These rules may be called the Investigator (Communal Harmony Cell), Ministry of Home Affairs Recruitment (Amendments) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Home Affairs, Investigator (Communal Harmony Cell) Recruitment Rules, 1993, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Selection-cum-Seniority or Selection by Merit	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Investigator (Communal Harmony Cell)	02* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-2, Rs. 9300—34800 with the Grade Pay of Rs. 4200	Not applicable	No	Between 18 and 25 years. (Relaxable upto 40 years for Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case of appointment through the Employment Exchange the crucial date shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.
Educational and other qualifications required for direct recruits				Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	
(8)				(9)	(10)	
Essential : Bachelor's Degree with one of the Social Sciences as a subject, viz. Sociology/Social work/Anthropology/Economics/Geography/Mathematics with Statistics.				Not applicable	2 years for direct recruits only	

(8)

Desirable :

1. (a) A Post Graduate Degree in any of the subject mentioned in 'Essential' qualifications, or
(b) Post Graduate Diploma in Social Service or Science from a recognized University or any other Institute like Tata Institute of Social Science.
2. Two years experience in processing and analyzing Statistical data in Government Departments or two years experience in conducting Socio-economic Surveys/studies.
3. General acquaintance of problems Relating to Communal Harmony in the Country.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption is to be made
--	---

(11)

(12)

On Deputation or absorption failing which by direct recruitment.

On Deputation or absorption :

Officers under Central Government :

- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or
(ii) With six years regular service in posts in PB-1, Rs. 5200—20200 with the Grade pay of Rs. 2800 or equivalent; or
(iii) With ten years regular service in posts in PB-1, Rs. 5200—20200 with the Grade pay of Rs. 2400 or equivalent; and
- (b) Possessing qualifications as prescribed in column 8.
(The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other department/organisation shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation/transfer shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) :—

Not applicable

- | | |
|---|-----------|
| 1. Deputy Secretary/Director, MHA
(in-charge of Admn.) | —Chairman |
| 2. Deputy Secretary/Director (in-charge of
Communal Harmony Cell), MHA | —Member |
| 3. Under Secretary (Ad. I), MHA | —Member |
| 4. An Under Secretary (preferably from other
Ministry/Department) | —Member |

[F. No. A/12018/01/2010-Ad. V]

ARVIND MUKHERJEE, Under Secy.

1305HA/11-2